कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सूचना//

सिविल न्यायालय डबरा में वाहन स्टेण्ड हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक अपनी निविदायें **https://mptenders.gov.in** के माध्यम से 250/— रूपये की फीस जमा कर दिनांक 19.11.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 20.11.2024 को दोपहर 2.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी तथा प्रिबिड मीटिंग दिनांक 09.11.2024 को रखी गई है। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट **www.mphc.gov.in,** जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **https://gwalior.dcourts.gov.in** एवं **https://mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर
91/10/24

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

:: निविदा शर्ते ::

1— निविदायें **https:/mptenders.gov.in** के माध्यम से प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से दिनांक 19.11.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक सिर्फ **Online Mode** में ही प्राप्त की जायेगीं। उक्त निविदा दिनांक 20.11.2024 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।

2— नियत दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3— निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

4— निविदा से संबंधित शर्ते एवं जानकारी उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाईट **www.mphc.gov.in**, जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in** एवं **https:/mptenders.gov.in** से डाउनलोड की जाकर रूपये 250/— रूपये **ऑनलाईन फीस जमा** कर दिनांक 19.11.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक **https:/mptenders.gov.in** पर ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।

5— निविदा अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी एवं अनुबंध आपसी समझौते पर और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन अनुमोदित दरों पर आगामी एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

6— निविदाकारों को सुरक्षा निधि के रूप में 10000/— रूपये की ईएमडी राशि ऑनलाईन जमा करनी होगी।

7— साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :—

1.	साईकिल	—	5 रूपये
2.	स्कूटर/दो पहिया वाहन	—	10 रूपये
3.	तीन/चार पहिया वाहन	—	20 रूपये

8— जिला न्यायालय ग्वालियर/सिविल न्यायालय डबरा/भितरवार के न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय अभिभाषक, अभिभाषक से कोई वाहन शुल्क वसूलनीय नहीं होगा, उनके लिए पास जारी करने की जिम्मेदारी निविदाकार की रहेगी।

9— वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

10— वाहन स्टेण्ड की न्यूनतम वार्षिक शुल्क राशि 61400/— रूपये निर्धारित किया गया है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

11— जिस निविदाकार द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क सम्पूर्ण निविदाकारों से अधिक दर्शाया जायेगा एवं समस्त शर्ते स्वीकार होगीं उसकी निविदा पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा। सफल निविदाकार को अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के रूप में 10000/— रूपये की राशि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, ग्वालियर के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होगी। **https:/mptenders.gov.in** पर सफल निविदाकार की जमा ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि AOC की कार्यवाही कर मुक्त कर दी जावेगी। सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के समय सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क राशि 61400/— डीडी/चेक के माध्यम से एकमुश्त जमा की जावेगी।

12— अधिकतम अधिमान्य निविदादाता के द्वारा वार्षिक अनुबंध की राशि अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात कर द्वितीय अधिकतम दर से संबंधित निविदाकार को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

13— वाहन स्टेण्ड परिसर में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेगें जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

14— ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।

15— किसी भी प्रकार की वाहन स्टेण्ड पर असमाजिक गतिविधियों में निविदाकर्ता के संलिप्त पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा एवं जमा अमानत/अनुज्ञा राशि राजसात कर ली जावेगी।

16— निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड पर साफ—सफाई रखी जावेगी एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तो सीसीडी कैमरे स्वयं के व्यय पर लगाये जायें।

17— ठेकेदार द्वारा वाहनस्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन देना जानाआवश्यक होगा।

18— निविदाकर्ता म0प्र0 का मूलनिवासी होना आवश्यक है। इस हेतु वह तकनीकी विड में दस्तावेज संलग्न करेगा।

19— वित्तीय एवं तकनीकी विड https:/mptenders.gov.in के माध्यम से प्रथक—प्रथक प्रस्तुत की जाएगी।

20— निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड खोली जायेगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेगें, उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय विड खोली जायेगी।

21— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होगें।किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

22— प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

23— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, जिला न्यायालय ग्वालियर से उनके दूरभाष नं. 9826586446 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर
21/11/24

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता :—